

भाग- 5


इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में अर्थात् कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की दण्डात्मक वृक्षारोपण कराये जाने/एन0पी0वी0 की देयता की संस्तुति सहित (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/रेल/41878/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-पी- 67/81-2-2021-800(54)/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)
दिनांक-

हस्ताक्षर 22/03/2021

()
नाम और पदनाम
(आशीष तिवारी)
संरक्षक सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।